**16.15 hrs.**

**Title: Discussion regarding problems being faced by sugarcane growers in the country moved by Shri Prabodh Panda on 19 December, 2002. (Concluded)**

**MR. CHAIRMAN : The House shall now take up further discussion under Rule 193. Shri Suresh Jadhav was on his legs. He is absent.**

**Shri Raghuvansh Prasad Singh.**

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) :** सभापति महोदय, किसानों की बड़ी भारी समस्या है और देशभर में किसान सबसे अधिक पीड़ित हैं। किसानों पर बहस भी हुई लेकिन गन्ना किसान और सब तरह के किसानों से ज्यादा पीड़ित हैं। हम देखते हैं कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है, लापरवाही बरती जा रही है। उसका सबूत यह है कि जब से सत्र शुरू हुआ, तब से गन्ना किसानों का सवाल उठ रहा है, हाउस की कार्यवाही में बाधा भी पड़ रही है लेकिन सरकार उस मामले में गंभीर नहीं हुई और उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति अभी तक कोई सौल्यूशन नहीं हुआ। तमाम राज्यों में गन्ना किसानों का बकाया है जिसके लिए आन्दोलन चल रहा है। पिछले साल के बकाये का अभी तक कोई समाधान नहीं निकल रहा है। किसान तबाही में हैं।

सब माननीय सदस्यों का कहना है, कानून में 14 दिन वाला प्रावधान है कि 14 दिन के अंदर गन्ना की कीमत का भुगतान होगा नहीं तो उनको इंटरस्ट भी मिलेगा। इंटरस्ट क्या, वर्षों से गन्ने का बकाया मिलों पर पड़ा हुआ है लेकिन किसानों को नहीं मिल रहा है। इस वजह से किसान कहीं धरना, कहीं अनशन और कहीं आन्दोलन कर रहे हैं। जो तात्कालिक विाय है, केन्द्र सरकार से स्टेच्यूटरी मिनिमम प्राइस तय होता था। पचास वर्षों से परिपाटी है कि गन्ने का स्टेच्यूटरी मिनिमम प्राइस तय होने के पश्चात, तमाम राज्यों में अलग-अलग राज्य सरकार, गन्ना किसानों के प्रतिनिधि और मिलों के प्रतिनिधि, तीनों बैठकर नैगोशिएटिंग प्राइस तय करते थे जिसे स्टेट ऐडवाइस प्राइस कहा जाता था। हाल में साढ़े चौंसठ रुपये तय हुआ था। कल प्रधान मंत्री जी ने ऐलान किया कि हम उसमें पांच रुपये और बढ़ाते हैं। इससे साढ़े उनहत्तर, सत्तर के करीब स्टेच्यूटरी मिनिमम प्राइस हुआ। लेकिन हरेक राज्य में दशमलव एक रिकवरी बढ़ने से 76 पैसे का भी निर्देश दिया गया। उसके हिसाब से 64 रुपये तब था तो हरियाणा ने 110 रुपये तय किए, स्टेट ऐडवाइस प्राइस 110 रुपये प्रति क्विंटल तय किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश तय करता था और वहां से तय होने के बाद बिहार भी उत्तर प्रदेश के बराबर है। पचास वर्षों से परिपाटी है। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक रुपये प्रति क्विंटल का फर्क रहता था तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बराबर बिहार भी तय करता था। केन्द्र से स्टेच्यूटरी मिनिमम प्राइस तय हुआ, हरियाणा, बिहार ने तय किया, उत्तर प्रदेश पश्चिमी तय होता था, पूर्वी उत्तर प्रदेश उसके बाद बिहार उसी के बराबर तय करता था। जब यहां साढ़े चौंसठ रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ तो उत्तर प्रदेश में एलान हुआ कि गन्ने का भाव 95 रुपये क्विंटल तय हुआ लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। इस बहाने मिल वालों का कहना था कि हम स्टेच्यूटरी मिनिमम प्राइस से अधिक नहीं देंगे जबकि पुरानी पचास वर्षों की परिपाटी के हिसाब से बिहार में 89-90 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए और अब चार रुपये बढ़ाकर 95 रुपये क्विंटल से कम होने से किसान उसे बरदाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में रोज-रोज आन्दोलन हो रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं ।किसान मारे जा रहे हैं। बिहार में भी आन्दोलन है, सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल है। वहां हर सैण्टर पर किसानों ने गन्ना जलाया। वहां पर आन्दोलन हो रहा है। अब मिल जल्दी से चालू हो, उसके लिए भी आन्दोलन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में केन्द्र सरकार की जवाबदेही बनती है कि हर राज्य में गन्ना किसानों की क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं की जानकारी करके हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है, उससे जो उत्पन्न परिस्थिति है, उसके बाद उसके उपाय किये जानेचाहिए। लेकिन चूंकि हम सबूत दे रहे हैं कि गन्ना किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है, प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया था, जब हाउस में कार्यवाही बाधित हुई कि हम मुख्यमंत्रियों को बुलाकर बैठक करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। यह 11-12 तारीख की बात है। उसके बाद 7-8 दिन से अधिक बीत गये। फिर कल प्रधानमंत्री झटके से आकर बैठे और कहा कि हमने भाव बढ़ा दिया, फिर चले गये। कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जी ने मामले को और उलझा दिया। इसलिए मूल मामला जो सुलझाना है, हाईकोर्ट का आर्डर है, स्टेचुटरी मिनिमम प्राइस है और स्टेट एडवाइस प्राइस की जो 50 वर्षों से परिपाटी रही है, उसे देखकर रास्ता निकाला जाना चाहिए, लेकिन वह रास्ता नहीं निकाला जा रहा है।

सरकार किसान की समस्या के प्रति अनदेखी कर रही है, लेकिन मिल मालिकों के प्रति कितनी संवेदनशील है, उसे हम देख रहे हैं। सरकार की ओर से इस तरह कहा जा रहा है जैसे चीनी मिल वाले बड़े भारी कट में हैं, जबकि किसान मर रहा है। चीनी मिल वालों को तो सरकार ने दो फायदे पहुंचाये हैं। सरकार की तरफ से मिल वालों को दो फायदे हुए हैं। पहला फायदा यह कि पहले 40 प्रतिशत लेवी होती थी, उसे घटाकर 15 प्रतिशत किया, जिससे मिल वालों को 3-4 सौ करोड़ रुपये का लाभ हुआ। अब लेवी को खत्म करने की बात है, जिससे मिल वालोंको 3-4 सौ करोड़ रुपये का लाभ हुआ। दूसरे, सुनते हैं कि सरकार 20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक बनाएगी। यह बफर स्टाक क्या है? बफर स्टाक कुछ नहीं है, बफर स्टाक मिल मालिकों को भारत सरकार के खजाने से 500 से 700 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाने का इन्तजाम है। लेवी से 3-4 सौ करोड़ रुपये और बफर स्टाक से 1000-1200 करोड़ रुपये का लाभ मिल मालिकों को पहुंचेगा। मिल मालिकों की चीनी लॉबी जबरदस्त होती है, इस लॉबी के कारण किसानों के पक्ष में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, जबकि मिल मालिकों के पक्ष में दो फैसले हुए।

**16.23 hrs.** ( Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair)

हिन्दुस्तान में अभी करीब 16, 18 या 20 करोड़ परिवार होंगे, जिनमें से 12 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर हैं। आठ करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से नीचे होंगे। पहले सभी परिवारों को पी.डी.एस. से चीनी मिलती थी। इसका मतलब कि इसमें कुछ तो बड़े लोग होंगे। गरीबी रेखा के पास में मिडिल क्लास के लोग हैं, चाय पीने में चीनी खर्च करने में उनको भी कुछ सब्सिडी मिलती थी, उसे सरकार ने खत्म कर दिया। ए.पी.एल. को जो पी.डी.एस. से चीनी मिलती थी, उसे खत्म किया, उससे सरकार को 3-4 सौ करोड़ रुपये की बचत होगी, वह बचत मिल वालों को लेवी खत्म करके फायदा पहुंचा गया। इस तरह से आम जनता की तबाही हुई और उन पर खर्चा बढ़ा।

अब चीनी मिल वालों को दो मामलों में फायदा हुआ। यहां बहस हो रही है और उधर किसान मर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आयातित चीनी का क्या हुआ ? अप्रैल से अभी तक कितनी चीनी आयात हुई ? पहले चीनी खपत से कम होती थी, लेकिन अब ज्यादा हो गई है। इसका कारण है कि किसानों ने ज्यादा गन्ना पैदा किया और ज्यादा पेराई हुई। इसलिए किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जिसकी वजह से हर राज्य में किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों पर लाठियां चलेंगे, लेकिन वह नहीं मानेगा। इस तरह से लड़ाई होगी और संघर्ा होगा। सरकार को इस मामले में ठोस निर्णय करना चाहिए। मिल के मामले में जो पूंजीपति हैं, उनके पक्ष में धड़ाधड़ निर्णय हो रहे हैं, लेकिन किसानों के पक्ष में कोई निर्णय नहीं हो रहा है। उसकी समस्याओं को देखने वाला कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी चीनी मिलें बंद हो रही हैं। बिहार में जो बिहार स्टेट शूगर कार्पोरेशन है, उसके अधीन 15 चीनी मिलें हैं। वे सारी बंद हो गई हैं। उसके कई कारण हैं, जिसमें प्रमुख यह है कि वे मिलें 1930-1932 की हैं। उनका आधुनिकीकरण नहीं हुआ और वही पुरानी मशीनें चल रही हैं, जिसकी वजह से रिकवरी बहुत कम है। इसके अलावा अफसरशाही भी है और भी कई गड़बड़ियां हैं। उस एरिया के किसान तबाही में हैं। उनको गन्ना लेकर दूर-दूर की मिलों तक जाना पड़ता है।

इन चीनी मिलों को चालू कराने के लिए भारत सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

मंत्री जी ने एक बार बैठक बुलाई थी जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के मंत्री आए थे। उसमें यही मुद्दा था कि बंद पड़ी चीनी मिलों को कैसे चालू किया जाए। आईडीबीआई से परामर्श हुआ और आईएफसीआई से भी परामर्श हुआ। राज्य सरकार की केबिनेट ने फैसला किया था कि आईएफसीआई परामर्शदात्री है इसलिए मिलों को कैसे चालू किया जाए, इसके लिए वह सुझाव दे। लेकिन उसमें शर्तों का निर्धारण नहीं हुआ। एक कर्मचारी हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट ने कहा कि वाइंडअप करिए। राज्य सरकार ने वाइंडअप कर दिया और स्थिति और उलझ गई। चीनी मिलें बंद हो गईं और उस एरिया के किसानों ने गन्ना पैदा किया, लेकिन उसकी पेराई नहीं हो सकी।

मेरा सुझाव है कि वहीं क्रय केन्द्र खोले जाएं। गन्ना किसान की हर राज्य में लगभग यही परिस्थिति है। हम लोगों को अच्छा लगा था जब प्रधान मंत्री जी ने सभी मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। उसमें यह विचार हुआ था कि राज्यों की अलग-अलग समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए। लेकिन प्रधान मंत्री जी ने जो पुराना आश वासन दिया था, उसको वे भूल गए और कल यहां कहकर चले गए। इससे मामले में और आशंका पैदा हो गई कि क्या होगा। वे मिलों के पक्ष में दो-तीन घोाणाएं कर गए कि यह टैक्स माफ होगा, वह टैक्स माफ होगा। ठीक है कि चीनी उद्योग भी बचे। उसको भी रहना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन जो आम उपभोक्ता है, जो किसान है, इनको भी देखने का काम करना चाहिए। आज चीनी मिल वाले सशक्त हैं, किसान असंगठित और कमजोर है और आम उपभोक्ता असंगठित है। इसलिए किसान और जनता के पक्ष को भी सरकार को देखना चाहिए और माकूल इंतजाम करना चाहिए। चीनी मिल वाले तो कोर्ट-कचहरी तक जाकर अपना हित साध लेते हैं, लेकिन किसान और जनता नहीं जा सकती। इसीलिए मैं कुछ तात्कालिक सुझाव देना चाहता हूं। मंत्री जी की बात सुनने के लिए पता नहीं प्र धान मंत्री जी को फुर्सत है या नहीं।

**सभापति महोदय** : अब आप समाप्त कीजिए। आपने काफी समय ले लिया है।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : मैं समाप्त ही कर रहा हूं। अंतिम सुझाव दे रहा हूं। मंत्री जी हरेक राज्य के प्रतिनिधियों को, मंत्रियों को, मुख्य मंत्रियों को और अधिकारियों को बुलाकर बातचीत करके मूल्य का निर्धारण करें।

गन्ना मूल्य निर्धारण की पचास वर्षों की राज्यों की जो परिपाटी है, उसको दुरुस्त किया जाए। दो - बकाया मूल्य के भुगतान की व्यवस्था करें। तीन - चीनी मिलों को चालू करने के लिए सरकार छूट दे, ताकि मिलें चल सकें। â€¦ (व्यवधान)

**सभापति महोदय :** आप अपना भाण जल्दी समाप्त करिए।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

भारत सरकार यह कोशिश करे, जो मिलें किसानों का भुगतान करेंगी, उन्हीं को लाभ मिलेगा। बफर स्टाक में उन्हीं चीनी मिलों को लाभ होगा, जो चीनी मिलें किसानों का भुगतान कर देगी। इन चार सुझावों पर माननीय मंत्री जी गम्भीरता से विचार करें और किसानों की समस्याओं का निदान करें, नहीं तो चीनी मिलों को लाभ होगा और किसानों का गला घोंटा जाता रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) :** सभापति महोदय, सदन में गन्ना किसानों के बारे में चर्चा हो रही है। किसानों की समस्या बहुत ही गम्भीर है। भारत एक कृषि प्र धान देश है और उत्तर प्रदेश एक गन्ना उत्पादक राज्य है और एक नम्बर का गन्ना पैदा करता है। इस साल मिलें न चलने के कारण यह समस्या खड़ी हुई है। गन्ने का मूल्य न मिलने के कारण गन्ना खेतों में खड़ा है और गन्ने की फसल न काट पाने की वजह से किसान गेहूं की खेती नहीं कर पा रहा है। गन्ने के मूल्य के संबंध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल गन्ने का मूल्य कुछ-न-कुछ बढ़ा दिया जाता था, लेकिन इस साल गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया और मिलें पिछले साल के मूल्य पर भी गन्ना नहीं खरीद रही हैं। इस वजह से किसान धरने पर बैठे हुए हैं और उन पर गोलियां भी चलाईं जा रही है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया है। इतना होने पर भी समस्या वहीं की वहीं हैं। कल प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि गन्ने का दाम बढ़ा दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 95 रुपए प्रति क्विंटल भाव देने का वायदा किया है, वह वायदा पूरा करना चाहिए। अगर किसानों के गन्ने का मूल्य 95 रुपए प्रति क्विंटल नहीं मिलेगा, तो स्थिति फिर खराब होगी। इसके साथ ही किसानों की बकाया राशि का भी भुगतान किया जाए, जिससे किसान शादी, ब्याह और मकान बनाने आदि के कार्य कर सकें। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

महोदय, पड़ोसी राज्य में गन्ने का मूल्य 110 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि भारत सरकार को देश में एक समान गन्ना नीति बनानी चाहिए, ताकि यह विवाद न खड़ा हो।

**16.34 hrs.** ( Mr. Speaker in the Chair)

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री भास्करराव पाटील (नांदेड़) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं इस सदन में गम्भीरता के साथ, ईमानदारी के साथ और दल से ऊपर उठकर गन्ना किसानों और चीनी मिलों के संबंध में कुछ प्रश्न सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : भास्कर जी, आपको केवल पांच मिनट बोलने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हमें पांच बजे हाउस एडजर्न करना है।

**श्री भास्करराव पाटील** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं महाराट्र चीनी मिल फेडरेशन का अध्यक्ष हूं।â€¦ (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे मालूम है।

â€¦ (व्यवधान)

**श्री भास्करराव पाटील :** आपको मालूम है कि आज देश में गन्ना उगाने वाले काश्तकारों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है।â€¦ (व्यवधान)मुलायम सिंह जी ने यहां 40 घंटे की बात की और कोरम का प्रश्न उठा कर हमें बात करने का मौका नहीं दिया। मैं जो कुछ कहूंगा वह बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। आपको मालूम है कि आज देश के गन्ना उगाने वाला किसान बहुत ही कठिनाई से गुजर रहा है। मुझे आज भी याद है कि तीन साल पहले मैंने, हमारे राज्य के मुख्य मंत्री, श्री विलासरा

व देशमुख और कुछ चीनी उद्योग से जुड़े हुए उद्योगपतियों ने हमारे पंथ प्रधान, श्री अटल बिहारी वाजपेयी से भेंट की। उनसे एक घंटे तक हमने इस बारे में बात की और उन्हें इससे अवगत कराया।

महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस समय हमने जो बातें उनके सामने रखी थीं, उन पर अगर यह सरकार गंभीरता से सोचती और कुछ निर्णय लेती तो आज यह परिस्थितियां न होतीं। हमने उन्हें दो-तीन सुझाव दिए थे। आपको मालूम होगा कि 1998-99 में इसी सरकार ने 20 लाख टन चीनी इम्पोर्ट की। शरद यादव जी, आप उस समय इसके मंत्री नहीं थे। आज जो कुछ प्रोब्लम चीनी मिलों या गन्ना उगाने वाले किसानों की खड़ी हुई है उसका मुख्य कारण यह है कि इस सरकार ने चीनी इम्पोर्ट की और यह गलत काम किया। उसी की वजह से आज देश के गन्ना उगाने वाले किसान परेशानी में आए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको दो-चार प्रमुख बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि आप भी महाराट्र के मुख्य मंत्री रहे हैं। वहां चीनी उद्योग बहुत बड़ा है। यादव जी, आप जानते हैं कि मैं जिस फेडरेशन को रिप्रजेंट करता हूं, वहां 165 चीनी मिले हैं। हमारे महाराट्र में हर साल 12 हजार करोड़ का टर्न-ओवर इस चीनी उद्योग के माध्यम से होता है। हम हर साल महाराट्र में 6000 करोड़ रुपए गन्ना उगाने वाले काश्तकारों को वहां देते हैं। महाराट्र में ग्रामीण इलाके में बहुत बड़ी प्रगति चीनी उद्योग ने की है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस बारे में आपको बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

महोदय, मैं यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं, हमने तीन साल पहले पंथ प्रधान जी से बात की थी कि आप ये महत्वपूर्ण निर्णय लें और ये निर्णय लेने होंगे कि आपको 20 लाख टन का बफर स्टाक तीन साल पहले करना होगा। उसी के साथ-साथ कम से कम दस लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करनी होगी और उसके लिए आपको कुछ सब्सिडी देनी होगी, परन्तु उस समय हमने जो खतरे की घंटी बजाई थी उसे शासन ने नहीं सुना। आज आपको मालूम है कि चीनी के देश में 118 लाख के भंडार हैं। आज चीनी के दाम इतने गिरे हैं कि कोई भी चीनी मिल गन्ना उगाने वाले को 600-700 रुपए भाव नहीं दे सकती। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां कह रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि आज महाराट्र में चीनी की एक बोरी का दाम 1050 रुपए है। आज जो चीनी की कंवर्शन कास्ट है, अगर आपको एक बोरी प्रोडक्शन करना है तो 600 रुपए कंवर्शन कास्ट है। अगर आप इसे एक साल के लिए बैंक में रखते हैं तो उसके ऊपर कम से कम दो सौ रुपए इंटरस्ट होता है। जब एक हजार में से, 600 और 200 मिला कर 800 रुपए देते हैं तो 250 रुपए ही गन्ना उगाने वाले काश्तकार को हम दे सकते हैं। ये चीनी मिलों की हालत है। आज पूरे चीनी उद्योग में 4000 करोड़ रुपए का घाटा है। इसलिए मैं कुछ सुझाव यहां रखते हुए कहना चाहूंगा, सबसे पहले इस सरकार को दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप जब तक एक्साइज़ ड्यूटी और मोलाइसेस ड्यूटी, जिस बात की हमने पहले भी यादव जी से चर्चा की थी कि आप बड़ी गंभीरता से इस पर सोचें। इसे दो साल के लिए आपको पोस्टपोंड करना होगा या गन्ना उगाने वाले काश्तकारों को पास ऑन करना पड़ेगा, जो कि चीनी मिलों से नहीं मिलेगा। दूसरी एक्सपोर्ट की बात मैं कह रहा था। आप जब तक यहां के स्टाक कम नहीं करेंगे तब तक चीनी के दाम नहीं सुधरेंगे और जब तक चीनी के दाम नहीं सुधरेंगे तब तक गन्ना उगाने वाले काश्तकारों को चीनी मिलें गन्ने का दाम नहीं दे सकेंगी।

महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो चीनी एक्सपोर्ट होगी, उसके लिए कम से कम दो रुपए किलो आपको चीनी के लिए सब्सिडी देनी होगी।

मैं महाराट्र सरकार का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने परसों निर्णय लिया कि महाराट्र से जो चीनी एक्सपोर्ट होगी, उस पर उन्होंने एक रुपया प्रति किलो सब्सिडी दी। एक रुपया जब राज्य देता है तो केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसके जो बड़े भंडार भरे हैं उनको कम करने के लिए एक्सपोर्ट होने वाली चीनी पर दो रुपये की सब्सिडी दे। दूसरा मेरा आग्रह है कि शुगर इंडस्ट्री को आप प्रीओरिटी स्टेटस दें। आज आरबीआई और नाबाड की वजह से चीनी मिलों को क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती। महाराट्र में कम से कम 70 चीनी मिलें इस साल शुरू नहीं हो सकती थीं। पर महाराट्र शासन ने गारंटी ली और उसी कारण हमारे महाराट्र में वह स्थिति पैदा नहीं हुई जैसा कि यूपी में हुई। जैसा कि आपने कहा कि यूपी में कुछ किसानों की गोलीबारी में मृत्यु हो गयी। महाराट्र में आंदोलन इसी कारण नहीं हो सका क्योंकि वहां की सरकार ने कुछ ऐसी बातें कीं जिनसे किसानों को कुछ राहत मिली। मैं आपसे भी आग्रह करुंगा कि आप एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी दें। शुगर इंडस्ट्री को प्र ाओरिटी स्टेटस दिया जाए। ऐसे हालात में आपको उनको बजटरी सपोर्ट भी देना होगा। आज यूएसए और जापान में गन्ना उगाने वाले किसानों को बजटरी सपोर्ट मिलता है। आज आप जो डीईपीबी 4 परसेंट देते हैं उसे बढ़ाकर 8 परसेंट करना होगा। आपको कोई योजना बनानी पड़ेगी, जिससे देश की 20 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट हो। दूसरी बात मैं कहूंगा कि ओशियन-फ्रीड सब्सिडी भी आपको देना पड़ेगी। डब्ल्यूटीओ के साथ मिलकर देने में किसी प्रकार की उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नार्थ-ईस्ट राज्यों के लिए इंटरनल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाए। चीनी मिलें एसएनपी प्राइज दे नहीं सकती हैं। कल पंथ प्रधान जी ने पांच रुपये बढ़ोत्तरी की, मैं उसके लिए उनका यहां अभिनंदन करता हूं। लेकिन खाली एसएनपी बढ़ाकर कुछ नहीं होगा क्योंकि कोई भी चीनी मिल अपने जेब से कुछ नहीं देगी। जब तक चीनी के भाव नहीं बढ़ेंगे तब तक एसएनपी प्राइज गन्ना उगाने वाले किसानों को नहीं मिलेगा।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : हरियाणा में कैसे मिल रहा है? आप यह क्या हिसाब बता रहे हैं। आप किसानों की बहस में भाग ले रहे हैं या मिल मालिकों की वकालत कर रहे हैं।

**श्री भास्करराव पाटील** : नहीं मिलेगा। रघुवंश जी, मैं आपका आदर करता हूं लेकिन इस क्षेत्र में मेरी जितनी जानकारी है वह मैं बता रहा हूं। हरियाणा में राज्य सरकार बजटरी सपोर्ट करती है, यह मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। जब तक बजटरी सपोर्ट नहीं करे, हरियाणा की सरकार इतना दाम नहीं दे सकती है। महाराट्र सबसे ज्यादा रिकवरी करने वाला स्टेट है। महाराट्र की एवरेज रिकवरी 11.60 है।â€¦ (व्यवधान)

**श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर)** : आप किसानों की वकालत कर रहे हैं या मिल मालिकों की वकालत कर रहे हैं।â€¦ (व्यवधान)

**श्री भास्करराव पाटील** : मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि मैं कोई राजनीति पर भााण नहीं कर रहा हूं, मैं गन्ना उगाने वाले किसानों पर बात कर रहा हूं। मैं एक बात और कहूंगा कि नई चीनी मिलों का इंसेंटिव जो आपने बंद किया है वह भी आपको चालू करना पड़ेगा। जब तक आप इंसेंटिव चालू नहीं करेंगे तब तक मिलें भाव गन्ने का नहीं देंगी। मैं फिर एक बार खतरे की घंटी बजा रहा हूं कि सरकार काश्तकारों, चीनी मिलों और किसानों के बारे में गंभीरता से नहीं सोचेंगी तो आने वाले तीन सालों के बाद, चीनी के दाम 20 से 25 रुपये किलो होंगे और इस शासन को चीनी इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। इस सरकार को मैंने जो बातें कहीं हैं उनका सौल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

**श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ)** : अध्यक्ष जी, आज हमारे देश का किसान संकट से गुजर रहा है और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने उनकी स्थिति पर चिंता प्रकट की है। आज सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्थान का किसान भूख से मरने के कगार पर है। पूरे देश का गन्ना किसान और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान आज बहुत परेशानी में है।

मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि किसानों को बचाया जाए क्योंकि आज किसान बरबादी के कगार पर हैं और वे आन्दोलन पर उतारू हैं। आज सरकार किसानो की पीड़ा को नहीं समझ रही है। कल प्रधान मंत्री जी ने किसानों को कुछ रियायतें देने की बात कही। मैंने इसी सदन में 3 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का मामला उठाया था और कहा था कि अगर आपने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाए तो किसान उत्तेजित होंगे और आन्दोलन पर उतारू होंगे लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसकी कोई परवाह नहीं की। मैंने 15 तारीख को माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा कि किसानों की हालत यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आन्दोलन पर उतारू हैं इसलिए कुछ कदम उठाए जाएं। मुझे 21 तारीख को प्रधान मंत्री का उत्तर मिला कि हम इसे देख रहे हैं। मैंने 21 तारीख को जीरो आवर में

किसानों के मुद्दे को उठाया और चिन्ता जाहिर की थी। जो कुछ आज हुआ, यदि समय रहते सरकार कदम उठाती तो निर्दो किसानों की हत्या नहीं होती और उन्हें गोली का शिकार नहीं होना पड़ता। सरकार उस समय जागती है जब स्थिति नाजुक हो जाती है। किसानों का पेमैंट नहीं हो रहा है। उन्हें अपनी उपज के रेट नहीं मिल रहे हैं। इसमें मनमानी की जाती है। यदि किसानो की एक हजार रुपए की रिकवरी होती है तो उन्हें लॉक-अप में बंद कर दिया जाता है। उसे बेइज्जत करके उसके ट्रैक्टर और पशु तहसील में बंद कर दिए जाते हैं। उद्योगपतियों पर किसानों का 11 हजार करोड़ रुपया बकाया है। उसका ब्याज भी किसानों को नहीं दिया गया है। ऊपर से उन पर गोलियां चलायी जा रही हैं। आज उत्तरप्रदेश की सरकार और भारत सरकार मिल कर मिल मालिकों की सांठ-गांठ से इसे करवा रही है जिससे ऐसे हालात पैदा हुए। सरकार कोर्ट में जाने का बहाना बना कर भुगतान नहीं कर रही है। ब्याज देने की बात तो दूर रही, वह किसानों को मेहनत और मजदूरी का पैसा भी नहीं दे रही है। देश में किसानों की ऐसी हालत होगी तो देश बहुत दिनों तक मजबूत नहीं रहेगा। मेरी प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह समय रहते इस दिशा में कदम उठाएं। उन्होंने कल हाउस में किसानों को रिलीफ देने की बात कही। मैंने एक महीने पहले नवम्बर की 15 तारीख को पत्र लिखा था। दिसम्बर को यही कहा था और आज भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है जिससे उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। किसान आज परेशानी में हैं।

अभी पाटील जी चीनी मिल मालिकों की बात कह रहे थे। अध्यक्ष महोदय, आप भी महाराट्र से हैं लेकिन आज मैं उत्तर प्रदेश के किसानों की बात कह रहा हूं क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आया हूं। वहां के किसानों ने मुझे यहां भेजा है। उनके ऊपर बहुत जुल्म और अन्याय हो रहा है। प्रधान मंत्री यहां मौजूद हैं। प्रधान मंत्री जी ने कल उनके बारे में जो कुछ कहा, हम उसका स्वागत करते हैं। यदि समय रहते कदम उठाए जाते तो किसान मारे नहीं जाते। कल मुलायम सिंह जी ने सदन में कहा था कि इस मामले में बड़ी सांठ-गांठ चल रही है और बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि 30 हजार करोड़ रुपया इन मिल मालिकों से लिया गया। यदि आप पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर किसानों के बारे में नहीं सोचेंगे तो देश कमजोर हो जाएगा। आप इन मिल मालिकों से चंदा लेकर नेतागिरी करनी बंद करें तभी देश के किसानों का भला होगा। इस मामले की सीबीआई से इनक्वायरी करवायी जाए कि इन चीनी मिल मालिकों के साथ कोई लेन-देन हुआ है या नहीं? यदि नहीं हुआ है तो मुलायम सिंह जी को सजा देनी चाहिए। मेरा इतना ही कहना है कि दोाी लोगों के खिलाफ सरकार कदम उठाए।

**श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर) :**अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं जहां 80 प्रतिशत किसान गन्ना उत्पादन करते हैं। मेरा नाम सूची में था लेकिन शायद कट गया, मुझे भी मौका मिलना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : आपकी पार्टी की ओर से नाम नहीं था, फिर भी मैं आपको दो मिनट का समय दे रहा हूं।

**श्री शीशराम सिंह रवि** : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे गन्ना किसानों की समस्या पर बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये मैं आपका ह्रदय से आभारी हूं। चूंकि आपने मुझे बहुत कम समय दिया है, इसलिये मैं कम समय में अपनी बात रखूंगा।

अध्यक्ष जी, मैं बिजनौर जिले से आता हूं। आजकल उत्तर प्रदेश में और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का संकट गहराया हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिये गन्ना जीवनाधार है लेकिन उन्हें गत तीन वर्ाों से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है। यदि 1960-65 के आंकड़े देखे जायें तो मालूम होगा कि उस समय एक ट्रैक्टर का मूल्य 26 हजार रुपये था और गन्ना 11 रुपये प्रति क्विंटल था परन्तु आज उसी ट्रैक्टर का मूल्य साढ़े तान लाख रुपये और गन्ना का मूल्य उचित नहीं मिल पा रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना का मूल्य 95 रुपये क्विंटल निर्धारित किया है लेकिन आज तक गन्ना मूल्य न तो प्राइवेट मिलें और न ही सरकारी मिलें दे रही हैं। ब्राजील में 30 वर्ाों से लगातार गन्ने का रस और रस के शीरे से इथोनोल का कार्य हुआ है। हमारे देश में काफी समय से यह हो जाना चाहिये था। हमारे प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस योजना को लागू किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इथोनोल से किसानों को लाभ मिलेगा। इथोनोल का रेट पेट्रोलियम मंत्रालय तय करे लेकिन रिलायंस और एसआर के दबाव में इथोनोल का रेट तय नहीं किया जा रहा है। मेरे क्षेत्र की शुगर मिलों में यह तैयार हो गया है परन्तु उसे खरीदा नहीं गया है। उसके टैंडर दिये जाने की बात की जा रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उत्पादन के आधार पर 20 लाख मीट्रिक टन का बफर स्टॉक बनाये जाने की बात की जानी चाहिये और मैं इतना जरूर कहूंगा कि..

**अध्यक्ष महोदय** : आपको दो मिनट का समय दिया गया था लेकिन आपने पांच मिनट ले लिये। मुझे 5 बजे हाउस एडजर्न करना है। आप बैठिये। आपका रिकार्ड में नहीं जायेगा

*(Interruptions)**

***Not Recorded**

**श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) :**अध्यक्ष महोदय, कल माननीय प्रधान मंत्री जी ने गन्ना किसानों के बारे में गन्ना मूल्य की घोाणा की। गन्ना किसानों को जो पहले मूल्य मिल रहा था, उससे 9 रुपये अधिक की राहत दी जा रही है। उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। गत वर्ा में उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को जो मिल रहा था, उससे कम है। बिहार में 32 शुगर मिल्स हैं जिनमें 20 से अधिक बंद हैं। बिहार में करोड़ों लोग गन्ना किसानों पर निर्भर करते हैं। हालत यह है कि नेपाल की नदियों के कारण बिहार के गन्ना किसानों का काफी नुकसान होता है। माननीय खाद्य मंत्री श्री शरद यादव बिहार से सांसद हैं और मंत्री भी हैं। बिहार के गन्ना किसानों का पिछले 3-4 वर्ाों से पैसा बकाया है।

वहां के किसानों को पैसा नहीं मिलता है। मैं गोपालगंज निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, वहां चार शुगर फैक्टरीज हैं। उनमें हथुआ का पैसा बकाया है। मरहौरा का सात करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। मजदूरों का पैसा बाकी है। हम माननीय मंत्री जी से इतना ही आग्रह करेंगे कि यहां गन्ना किसानों के बारे में बहस हो रही है। इसका लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराट्र के लोगों को ही न मिले, बल्कि बिहार के लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। इसका लाभ पूरे हिन्दुस्तान के लोगों को मिलना चाहिए। कृपा करके मंत्री जी इसका ध्यान रखें कि इसका लाभ पूरे देश के लोगों को मिलना चाहिए।

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव)** : माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दो दिनों से गन्ना किसानों और शुगर इंडस्ट्रीज पर विस्तार से बहस हुई है। श्री जायसवाल जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी, शरद पवार जी तथा अन्य कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी बात और राय को सदन में रखने का काम किया है। माननीय शरद पवार जी यहां नहीं है। मैं मानता हूं कि उन्होंने और विशेा तौर पर अभी पाटिल जी बोल रहे थे, इन सबने इस समस्या को बहुत गहराई से यहां रखने का काम किया है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो हमारा कैरी ओवर स्टाक है, वह पिछले साल का 106 लाख मीटरिक टन है और इस साल यह 82 लाख मीटरिक टन हो गया है। यह जो बड़ा स्टाक है, इस स्टाक के चलते और कोर्ट और अदालतों से लीज लेने के कारण जो रिलीज मैकेनिज्म खत्म हुआ है, इन सब चीजों के कारण चीनी के दाम घट गये हैं और दाम घटने के कारण कई तरह की समस्याएं पैदा हुई है, जिन पर सदन में चर्चा चल रही है, उस पर सब सवालों का अकुमुलेटिंग असर पड़ा है।

जब मैं पिछली बार बोला था तो निश्चित तौर पर मैंने अपनी बात को विस्तार से रखा था। 12 तारीख को जब मैं बोल रहा था तो मैंने कहा था कि भारत सरकार

अपनी पूरी ताकत और सामर्थ्य के साथ लगी हुई है कि कैसे इस समस्या को हल किया जाए। जब मैं पिछली बार बोल रहा था कि किसानों का पिछला जितना बकाया है, जिसके बारे में रघुवंश बाबू बिहार के बारे मे बोल रहे थे, सारे देश का 1119 करोड़ रुपया बकाया है और इसमें पिछले साल का सबसे ज्यादा बकाया है। बकाया अभी इसलिए है चूंकि पिछली बार उत्पादन ज्यादा हुआ था, जिसके कारण दाम नीचे चले गये। निश्चित तौर पर पूरे देश में अकेली शुगर की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में अकेले 563 करोड़ रुपये था। वहां की सरकार और हम सब लोगों ने प्रयास किया और अब वहां 359 करोड़ रुपया बकाया बचा है। पूरे देश का 1119 करोड़ रुपये था। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे हाथ में जो सामर्थ्य और शक्ति है, उससे काम करने के बाद गन्ने का बकाया इस महीने 1119 करोड़ रुपये से घटकर 647 करोड़ रुपये पर आ गया है - यानी इसमें गिरावट आई है। देश भर में गन्ना किसानों का बकाया चुकाया गया है। हमने बीस लाख टन बफर स्टाक किया है। पाटिल साहब आप कह रहे थे कि सबसे बड़ी समस्या कैरी ओवर स्टाक की है। आने वाला बफर स्टाक लगभग 42 लाख टन होगा। जब तक हम उसे लिक्विडेट नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। निश्चित तौर पर यह इतनी गंभीर समस्या है कि इस पर सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। यह अकेले केन्द्र सरकार के हाथ की बात नहीं है। दो सूबों में इसका ज्यादा असर है, एक उत्तर प्रदेश है, जहां शक्कर का ज्यादा उत्पादन होता है।

दूसरा राज्य महाराट्र है। महाराट्र और उत्तर प्रदेश में अंतर यह है कि उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव शुगर मिलें है, प्राइवेट लोगों के पास भी मिले हैं और सरकार की मिलें भी हैं। लेकिन महाराट्र में किसान ही यह कोऑपरेटिव चलाते हैं।

रघुवंश बाबू आप पाटिल साहब को टोक रहे थे, वहां दिक्कत है, लेकिन दोनों मिलकर उससे निपट रहे हैं। यहां हालत यह है कि किसान और मिल ओनर्स के तीन स्वरूप हैं - निजी मालिक हैं, सरकार है। आप जानते हैं कि सरकार में बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लगातार एक रिवाज रहा है कि स्टेट गवर्नमैन्ट वहां हमेशा कीमतें (एस.ए.पी.) अनाउंस करती थी और कीमतें अनाउंस करने के बाद कुछ अपनी तरफ से भी देती थी और प्राइवेट शुगर मिल ओनर्स से भी दिलाती थी।

## 17.00 hrs.

महोदय, निश्चित तौर पर इसमें कोई रास्ता निकल आता, लेकिन जो शुगर मैकेनिज्म था, उसका असर भी हुआ है। उसके चलते लोग घबरा गए और उत्तर प्रदेश में जो 83 मिलें हैं उनके मालिक हाइकोर्ट में चले गए और वहां से रिलीफ प्राप्त कर लाए। मिलों का जो कैरी-ओवर स्टाफ है, वह भी ज्यादा है। इन सारी समस्याओं के मिल जाने से इसमें संकट आया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार गन्ना किसानों की समस्या से चिन्तित है और कल ही प्रधान मंत्री जी ने किसान के गन्ने का खरीद मूल्य, जो मिनीमम सपोर्ट प्राइस है वह 5 रुपए बढ़ाने की घोाणा की है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि 5 रुपए बढ़ाने से क्या होता है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 5 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के दाम बढ़ाने से यदि गन्ने की रिकवरी 8.5 प्रतिशत होती है, तो 69 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के दाम किसान को मिलेंगे। यदि रिकवरी 9 प्रतिशत होती है तो गन्ने के दाम 73 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। यदि रिकवरी 10 प्रतिशत होती है, तो 81 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। यदि रिकवरी 10.5 प्रतिशत होती है, तो गन्ने का दाम 85 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। यदि रिकवरी 11 प्रतिशत होती है तो गन्ने का दान 89 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। यदि गन्ने से शुगर की रिकवरी 11.5 प्रतिशत होती है तो गन्ने का दाम 94 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा और यदि 12 प्रतिशत होती है, तो गन्ने का दाम 102 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा और यदि रिकवरी 12.5 प्रतिशत होती है, तो गन्ने का दाम 106 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। इस प्रकार से 5 रुपए बढ़ने से इतना फर्क पड़ता है।

महोदय, प्रधान मंत्री महोदय ने जो 5 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के दाम बढ़ाए हैं, उसके चलते मैं नहीं कहता कि किसानों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन यह बात जरूर है कि इससे किसानों को थोड़ी राहत अवश्य मिलेगी।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Can you assure whether the extended price which our Prime Minister had announced yesterday will actually be provided to the *kisans* properly? Can they get the supporting price amount in their hands? The problem is the middlemen. They operate the industry. They loot the total money.

**श्री शरद यादव :** अध्यक्ष जी, रघुवंश प्रसाद जी ने कहा था कि जो बफर स्टाक बनाया है, उसे सरकार मिल मालिकों के हाथ में दे देती है और सरकार मिल मालिकों से मिलीभगत कर के किसानों को कोई फायदा नहीं होने देती है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। हमने 120 लाख टन का जो चीनी का बफर स्टाक बनाया है, उसमें 778 करोड़ रुपए व्यय होंगे। यह पूरा का पूरा पैसा किसानों को जाएगा। मैंने देश के सारे केन-कमिश्नर्स की एक मीटिंग बुलाई थी। मैंने साफ कह दिया था कि यह सारा धन किसानों को जाना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि सारा धन किसानों को जाएगा। पहले जो व्यवस्था थी उसमें कुछ खामियां थीं। मुझे पाटिल साहब मिले थे, उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि दिक्कतों से मुकाबला किया जाएगा।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज)** : इसका मैकेनिज्म क्या है ?

**श्री शरद यादव :** इसका मैकेनिज्म बनाएंगे।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : इसका मतलब अभी मेकेनिज्म बनाया नहीं है।

**श्री शरद यादव** : महोदय, मैकेनिज्म बना हुआ है, लेकिन वह पुराना मैकेनिज्म है, उसको दुरुस्त किया जाएगा, केन-कमिश्नर्स को और टाइट किया जाएगा। पाटिल साहब ने मुझे वार्न किया है। उसको भी मैं देखूंगा। केन-कमिश्नर्स की एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है। सब इंतजाम करेंगे।

महोदय, जो ओशियन फ्रेट की बात है, मैं बताना चाहता हूं कि यदि यह बफर स्टाक बना रहता है, तो शुगर इंडस्ट्री है, इसका संकट दूर नहीं होगा। यदि शुगर इंडस्ट्री का संकट दूर करना है, तो हमें इसे तेजी से कम करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कंजूमर, ग्रोअर और इंडस्ट्री, इन तीनों के बीच में कैसे सामंजस्य हो, इसका हम प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि पिछली बार जो सूचना आई थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सूचना दी थी कि एक आदमी मरा है। तब चूंकि सदन बन्द हो चुका था और आपने निर्देश दिया था कि जो भी सूचना प्राप्त हो, उसे मंगाया जाए और सदन को आज ही उपलब्ध कराया जाए। इसलिए मैंने एक आदमी मरने की सूचना सदन को दी, क्योंकि तब तक मेरे पास वही सूचना आई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ही तीन आदमियों के मरने की सूचना भेजी। अब वहां गोली किस की चली, किसान किस की गोली से मरे, इस सब के विस्तार में मैं नहीं जाउंगा, लेकिन यह बात सत्य है कि गोली से वहां तीन किसानों की मौत हुई। निश्चित रूप से यह अफसोस की बात है और मैं इस घटना पर अफसोस जाहिर करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। समस्या विकट है, लेकिन इसके समाधान के लिए भारत सरकार, अपनी ओर से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भरपूर प्रयास कर रही है। इसलिए मैं अन्त में अपनी ओर से एक ही बात कह कर समाप्त करूंगा, हमारे पास आप में से बहुत से लोग आए थे, â€¦ (व्यवधान)

**श्री शमशेर सिंह दूलो (रोपड) :** सभापति जी, पंजाब में 500 करोड़ की शुगर पड़ी है। उसके बारे में मंत्री जी बताएं कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा। पिछले साल से मैं कई दफा रिक्वैस्ट कर चुका हूं। इसके कारण पंजाब में आन्दोलन चला, रेलों को रोका। â€¦ (व्यवधान)

**श्री शरद यादव :** जो शुगर डैवलपमेंट फंड भारत सरकार का है, उससे अभी तक हमने मॉडर्नाइजेशन के लिए 1538 हजार करोड़ रुपए की सहायता दी है।

केन डेवलपमैंट के लिए 734 करोड़ रुपये और रिसर्च के लिए 38 करोड़ रुपये की हमने मदद की है। अभी जो बफर स्टाक है, उस पर हमने â€¦ (व्यवधान)

**श्री रघुनाथ झा :** आपने बिहार में माडर्नाइजेशन के लिए कितना पैसा दिया है? â€¦ (व्यवधान)

श्री शरद यादव : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केन्द्र और स्टेट गवर्नमैंट दोनों मिलकर करेगी। यह जो कंटीजेंसी फंड है, वह किसी को कर देने के लिए नहीं है। यदि कोई प्रस्ताव माडर्नाइजेशन के लिए आयेगा तब हम उसको दे सकते हैं।

जैसा अभी रघुनाथ झा कह रहे थे या हर सूबे के लोगों ने कहा, उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हाथ में शुगर डेवलपमैंट फंड के अलावा और कोई चीज नहीं है। हमने उसका इस्तेमाल पूरी तरह से किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार काम करेगी। अब शुगरकेन के पिछले बकाये का जो संकट है, उसके बारे में भी सरकार रास्ता निकालेगी। â€¦ (व्यवधान)

---